



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935

No. 262]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

का.आ. 315(अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 और 2248(अ) दिनांक 28 सितंबर, 2011 के द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 (किमी 42.525 से किमी 341.047) (उ. प्र./राजस्थान सीमा – भरतपुर – महुआ – जयपुर – रींगस – सीकर) को छोड़कर को राजस्थान राज्य सरकार (जो इसके बाद "प्राधिकरण के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के किमी 340.188 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 बाया सीकर बाइपास के किमी 557.775 सीकर – बीकानेर खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 बीकानेर बाइपास के किमी 553.869 से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 89 किमी 267.325 सीकर – बीकानेर खंड (डिजाइन लंबाई 237.578) तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को 2/4 लेन बनाने (जो इसके आगे "कथित खंड" के रूप में उल्लिखित है) के लिए 26.03.2012 को प्रस्तुत निविदा के लिए सफल निविदादाता मै. सीकर बीकानेर हाइवे लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर, प्लॉट सं. सी-22, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई -400051 है (जो इसके आगे "रियायतग्राही" के रूप में उल्लिखित है) के साथ 29.06.2012 को एक करार (जो इसके आगे "करार" के रूप में उल्लिखित है), किया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित तथा बोली प्राप्ति की तारीख तक संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क (जो इसके आगे "नियम" के रूप में उल्लिखित है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, कथित खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, यथोचित प्रतिलाभ, यातायात की मात्रा तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच संपन्न करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि कथित खंड का प्रयोग करने के लिए यांत्रिक वाहन पर 17.780 किमी की लंबाई वाले निबल

सड़क खंड के लिए 4 या इससे अधिक लेन के खंडों के प्रयोग हेतु तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर (इसके आगे "आधार दर" के रूप में उल्लिखित है) से, 2 लेन के खंडों का प्रयोग करने के लिए 179.555 किमी की लंबाई वाले निबल सड़क खंड के लिए आधार दर का 60% और 40.203 किमी लंबाई के 3 बाइपासों पर नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों की किस्मों पर आधार दर के 90% की दर से शुल्क प्रभारित और संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को, प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख से और यथा-स्थिति प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर अथवा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर करार में यथा-विनिर्दिष्ट करार समापन की तारीख तक, इसमें से जो भी बाद में हो, शुल्क का संग्रहण करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत संग्रहीत और उद्ग्रहीत फीस पथकर प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और भुगतान योग्य होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है।	दर, जिस पर फीस संदेय है।
रारा-11 पर किमी/चैनेज 362.500 (डिजाइन किमी 362.475) (सीकर जिले में रसूलपुरा गांव के निकट)	54.537 (4 लेन खंड 17.780 और पेन्ड शोल्डर सहित 2 लेन खंड 36.757 किमी)	(i) 17.780 किमी के 4 लेन खंड के लिए उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 100% (ii) 36.757 किमी के पेन्ड शोल्डर सहित 2 लेन खंड के लिए उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%
रारा-11 पर किमी/चैनेज 420.220 (डिजाइन किमी 419.702) (चुरू जिले में टिडियासार गांव के निकट)	69.50	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%
रारा-11 पर किमी/चैनेज 507.000 (डिजाइन किमी 506.878) (बीकानेर जिले में लक्खासर गांव के निकट)	73.338	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 60%

2. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं पर, निम्नलिखित बाइपासों का प्रयोग करने के लिए, उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर, निम्नलिखित फीस भी देय और भुगतान योग्य होगी :-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	बाइपास का नाम और लंबाई (किमी) जिसके लिए अतिरिक्त फीस का भुगतान किया जाएगा	बाइपास की लागत (सड़क रु.)	भुगतान योग्य फीस दर
रारा-11 पर किमी/चैनेज 362.500 (डिजाइन किमी 362.475) (सीकर जिले में रसूलपुरा गांव के निकट)	19.463 किमी लंबा सीकर बाइपास जो रारा-11 के किमी 340.188 से प्रारंभ और किमी 356.900 पर विलय होगा।	25.34	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 90%
रारा-11 पर किमी/चैनेज 420.220 (डिजाइन किमी 419.702) (चुरू	रारा-11 के किमी 439.022 से प्रारंभ और किमी 442.611 पर समाप्त होने वाले	20.07	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर

जिले में टिडियासार गांव के निकट)	3.500 किमी लंबाई का संरेखण ।		का 90%
रारा-11 पर किमी/चैनेज 507.000 (डिजाइन किमी 506.878) (बीकानेर जिले में लकखासर गांव के निकट)	17.240 किमी लंबा बीकानेर बाइपास जो रारा-11 के किमी 553.869 से प्रारंभ और किमी 267.325 पर विलय होगा ।	50.12	उक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 90%

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2013-14 के लिए 215.00 रु. (दो सौ पंद्रह रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अधीन है ।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों ।

6. नियमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन, उस दर पर फीस का भुगतान करने का दायित्व होगा जो अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए प्रयोज्य है और वह राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता ।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी ।

8. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी ।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी । प्राधिकरण द्वारा इसे रियायतग्राही के माध्यम से प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 और रियायत करार के उपबंध के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा बशर्ते कि फीस के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/1/2012-एनएचडीपी-IVए]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

S.O. 315(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport & Highways), number S.O.1096 (E) dated 4th August 2005 and 2248 (E) dated 28th September, 2011 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted National Highway no.11 (Excluding from Km. 42.525 to Km. 341.047) (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur-Ringus-Sikar) in the State of Rajasthan to the State Government of Rajasthan (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, the Authority has entered into an Agreement on 29.06.2012 (hereinafter referred to as said “Agreement”) with M/s. Sikar Bikaner Highway Limited, having its Registered Office at IL & FS Financial Center, Plot No.C-22, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051, Maharashtra, India, (hereinafter referred to as “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 26.03.2012 for the development of the

Sikar – Bikaner Section from Km. 340.188 of NH-11 to Km. 557.775 of NH-11 via Sikar Bypass and Bikaner Bypass from km. 553.869 of NH-11 to km. 267.325 of NH-89 on the Sikar – Bikaner Section (Design Length - 237.578 Km.) of National Highway No. 11 by two/four laning (hereinafter referred to as the “said section”) in the State of Rajasthan on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and Amended upto the date of receipt of the bid (herein referred to as the “Rules”), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 17.780 Km. for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) , at 60% of the base rate for net road section length of 179.595 Km. for use of the two lane sections and at 90% of the base rate on three bypasses of length 40.203 Km. on the Types of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting the completion certificate or the provisional certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the Agreement;

TABLE 1

Type of Vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (In Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles. (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in Km.) for which Fee is payable	Rate at which the fee is payable
Km./Ch 362.500 (Design Km. 362.475) on NH-11 (near village Rasulpura in Sikar District)	54.537 (four lane section 17.780 Km. and two lane with paved shoulder section 36.757 Km.)	(i) 100% of the base rates mentioned in Table 1 above for four lane section of 17.780 Km. (ii) 60% of the base rates mentioned in Table 1 above for two lane with paved shoulder section of 36.757 Km.
Km./Ch 420.220 (Design Km. 419.702) on NH-11 (near village Tidiyasar in Churu District)	69.50	60% of the base rates mentioned in Table 1 above.
Km./Ch 507.000 (Design Km. 506.878) on NH-11 (near village Lakhasar in Bikaner District)	73.338	60% of the base rates mentioned in Table 1 above.

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of following bypasses at the base rate mentioned in the Table 1 above, cost of which is specified hereunder and at the following toll plaza(s):

Location of Toll Plazas (chainage)	Name & Length (in Km.) of the bypass for which additional Fee is payable	Cost of Bypass/realignment (Rs. in crore)	Rate at which the fee is payable
Km./Ch 362.500 (Design Km. 362.475) on NH-11 (near village Rasulpura in Sikar District)	Sikar Bypass of 19.463 Km. length taking off at Km. 340.188 and merging at Km. 356.900 of NH-11	25.34	90% of the base rates mentioned in Table 1 above
Km./Ch 420.220 (Design Km. 419.702) on NH-11 (near village Tidiyasar in Churu District)	Realignment of 3.500 Km. length starting at Km. 439.022 and finishing at Km. 442.611 of NH-11	20.07	90% of the base rates mentioned in Table 1 above
Km./Ch 11.000 of Bikaner Bypass (Design Km. 1.148) on NH-11 (near village Udairamsar in Bikaner District)	Bikaner Bypass of 17.240 Km length taking off at Km. 553.869 of NH-11 and merging at Km. 267.325 of NH-89	50.12	90% of the base rates mentioned in Table 1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen only) for the year 2013-14 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highway fee (determination of Rates and collection) Rules, 2008.
4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two – third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee equal to ten times of the fee applicable to such category of the mechanical vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions, including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
9. Based on the base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the project Highway. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F.No. RW/NH-37016/1/2012-NHDP-IVA]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.